"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2009—श्रावण 16, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2009

क्रमांक ई 1-5/2006/1/2.— छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किये गये
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बासवाराजू एस.	अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री हिमशिखर गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी, पंडरिया, जिला-कबीरधाम
3.	श्री के. सी. देवसेनापति	अनुविभागीय अधिकारी, कोंडागांव, जिला-बस्तर
4.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
5.	सुश्री शम्मी आबिदी	अनुविभागीय अधिकारी, गरियाबंद, जिला-रायपुर
6.	श्री यशवंत कुमार	अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला-रायगढ़

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से. (2000), उपायुक्त (विकास) आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर एवं उपायुक्त (राजस्व) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अंकित आनंद, भा. प्र. से. (2006), सहायक कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी; जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2009

विषय : केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन आदेशों के उपरांत अधिकारियों/कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण जारी करने के पश्चात् गैर राज्य स्तरीय कर्मचारियों को सुविधायें देने के संबंध में.

संदर्भ : राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ का परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1-7/2003, दिनांक 24-01-2007

क्रमांक 1-1/2003/1-7.— संदर्भित निर्देश द्वारा छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य की सेवा के गैर-राज्यस्तरीय संवर्ग (Non-State Cader) के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा मध्यप्रदेश शासन की सहमति से दि. 3-10-2006 से 2-10-2008 तक निर्धारित थी, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि तक के लिये पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी गई थी. उक्त अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "गैर-राज्यस्तरीय संवर्ग के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण अन्य कारणों के तहत अत्यन्त आवश्यक हो तो छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभागों की सहमति उपरान्त छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त कर कैडर स्थानांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी."

2. उक्तानुसार आपसी स्थानांतरण की कार्यवाही अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों पर की जा सकेगी जिसमें पारिवारिक कारणों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने का लेख किया गया हो.

3. अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 24-1-2007 अनुसार भी रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्र सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक 826/696/2009/1-8/स्था.— श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 6-7-2009 से 10-07-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 2-22/2008/1-8.— श्री विनोद वर्मा, (उप संचालक-कृषि) की सेवायें उनके मूल विभाग से लेते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग (तकनीकी) पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2009

क्रमांक 838/731/2009/1-8/स्था.— श्री मोहन सिंह ठाकुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पुल) को दिनांक 27-7-2009 से 13-08-2009 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मोहन सिंह ठाकुर आदेशानुसार पदस्थी स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहन सिंह ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (पुल) में ही रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/5/2006/1/2.— श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से., उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को दिनांक 15-06-2009 से 23-06-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शोरी आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शोरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.— श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर को दिनांक 21-07-2009 से 23-07-2009 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2009

क्रमांक/2563/एफ-14/14/2007/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 41 (1) (च) में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नांकित माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित करती है :—

1. श्री खेदूराम साहू - माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र क्र. 76-डोंगरगांव
2. श्री राजू सिंह ठाकुर - माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र क्र. 28- तखतपुर
3. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र 81-कांकेर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 जुलाई 2009

क्रमांक/2650/भू-अर्जन/7/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	गाटम	0.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	गाटम व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 03/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73/14	1404	0.207	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना सड़क क्रमांक 03.
			1410	0.130		
			1554	0.690		
			1557/1	1.173		
			1557/2	0.060		
			1557/3	0.006		
			1558	0.209		
			1559/1	0.324		
			1559/2	0.190		
			1559/3	0.250		
			1563/1	0.061		
			1564	0.190		
			1565	0.146		
			1566/1	0.073		
			1566/2	0.073		
			1566/3	0.020		
			1566/4	0.020		
			1567	0.240		
			1568	0.530		
		योग	19	4.592		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक/3409/क़ले./भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिंचमर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.02 हैक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236	0.08
242	0.38
266	0.02
240	0.30
325	0.70
335	0.02
339	0.26
337	0.25
407	0.21
409	0.08
341	0.39
345	0.03
403	0.07
408	0.30
420	0.01
224	0.87
336	0.12
706	0.22
241	0.08
239	0.40
468	0.06
404	0.17
योग	5.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- दल्लीराजहरा - रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 17 जुलाई 2009

क्रमांक/3733/भू-अर्जन/कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदेभाठा कांकेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
444, 445/14	0.40
444, 445/2 ग	1.53
444, 445/2 ख	1.69
444, 445/4	2.00
444, 445/2 क/2	0.08
444, 445/2 क/1	0.08

(1)	(2)
444, 445/1	4.00
योग	9.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-नक्सली पीड़ित परिवारों के पूनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 17 जुलाई 2009

क्रमांक/3735/कले./भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-चारामा
- (ग) नगर/ग्राम-कांशीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	1.80
2	1.01
3	1.62
6	1.53
7	0.51
9	0.39
14	0.32
16/1	1.10
16/3	0.31
16/2	0.30
16/4	0.40
17	0.26
26	0.51
34	0.12
18	0.13
24	0.01
25	0.34
37	0.10
41	0.12
21	0.16
23	0.30
33	0.11
35	0.13
38	0.12
39	0.17
42	0.08
61	0.46
36	0.12
43	0.59
60	0.04
40	0.10
योग	13.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-आमाडुला जलाशय निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक/5413/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-मुंडाटोला, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
13/1	0.24
13/2	0.37
योग	0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंडाटोला जलाशय के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक/5417/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-सिरसाही, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
606/7	1.85
योग	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक/5418/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-पण्डरिया, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
480/2	0.23
480/1	0.06
480/3	0.07
480/4-5	0.08
462/1	0.01
461/2	0.09
475/1	0.02
461/1	0.16
461/3	0.06
457/1	0.08
457/2	0.07

(1)	(2)
90/1	0.07
459	0.15
441	0.04
436/2	0.10
156	0.18
155	0.05
153	0.03
154	0.07
151	0.11
149	0.05
150	0.08
140	0.08
139/2	0.04
139/1	0.04
138	0.10
132	0.07
133	0.05
87	0.08
123/1	0.06
89	0.07
योग 31	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पण्डरिया ज़लाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक/5419/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरागढ़ सिविल लाईन ब्लाक नम्बर 01.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8070 वर्ग फुट

प्लाट नम्बर	रकबा (वर्गफुट में)
(1)	(2)
132	2084
133	5986
योग	8070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरागढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना शुद्ध जल शोधन संयंत्र का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./8/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आरा, प. ह. नं.-12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.148 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
879/3	0.024
879/4	0.032
879/5	0.024

	(1)	(2)
	879/6	0.024
	879/8	0.044
योग	5	0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गागर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 4 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ककना, प. ह. नं.-11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1214/2	0.060
योग		0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गागर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत स्टोर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 जुलाई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-जामबहार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.97 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	12/1	0.22
	13	0.10
	12/2	0.53
	15	0.10
	20	0.01
	16	0.30
	18	0.05
	19	0.01
	17	0.20
	25/1	0.09
	25/2	0.32
	27/1	0.35
	27/2	0.15
	32/2	0.54
योग	14	2.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हवाई पट्टी विस्तार प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), धमतरी

धमतरी, दिनांक 21 जुलाई 2009

क्रमांक 2214 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 17-धमतरी के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया गया है :—

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्री शेष नारायण साहू	ग्राम दर्री पोष्ट खरेंगा, तहसील एवं जिला धमतरी.	सहकारी विपणन संस्था मर्यादित धमतरी

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

ज्ञा. क्र./पं. शा./विस्था./2009/1770.—मैं, संजय गर्ग, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम 3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत अभनपुर में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञा. क्र./2975/2611/2007/18 दिनांक 29-06-2009 में कोई आपत्ति दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला (1)	खण्ड का नाम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम (4)	जनसंख्या (5)	पटवारी हल्का नम्बर (6)	विशेष (7)
रायपुर	अभनपुर	उरला	उरला	3922	131	नगर पंचायत गठन हेतु.

No./Pyt. Sec./Alt/2009/1770.—I, Sanjay Garg, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994) do here by rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in

the Nagar Panchayat Abhanupur this has been done favour of notification published in C. G. Govt. Memo No./2975/ 2611/2007/18, Raipur Dated 29-06-2009 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Names of Villages being rehabilitated	Population	P. H. No.	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Abhanpur	Urla	Urla	3922	131	Included in Nagar Panchayat

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2009

क्रमांक/763/नग्रानि/को. भू. उप./2009.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कोण्डागांव निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. और उसकी एक-एक प्रति नगर पालिका परिषद् के सामुदायिक भवन बाजार पारा (प्रदर्शनी स्थल) कोण्डागांव, कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालाजी वार्ड जगदलपुर में दिनांक 31-07-2009 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. कोण्डागांव निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

कोण्डागांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोण्डागांव तहसील के ग्राम पलारी (प. ह. नं. 17) की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कोण्डागांव, नगर पालिका सीमा तथा कोण्डागांव तहसील के ग्राम (प. ह. नं. 17) पलारी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कोण्डागांव, नगर पालिका सीमा की दक्षिणी सीमा तथा कोण्डागांव तहसील के ग्राम चिखलपुटी (प. ह. नं. 18 अ) की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कोण्डागांव, नगर पालिका सीमा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल :- नगर पालिका परिषद् सामुदायिक भवन बाजार पारा, कोण्डागांव.

No. 763/T & CP/2009.—Notice is hereby given that the existing land use map for Kondagaon Planning Area has been prepared under section 15 sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dated 31-07-2009 during office hours in the Municipal Council Samudayik Bhavan, Bajar Para (Exibition Venue) Kondagaon, office of the Collector, District Bastar and Office of Deputy Director, Town & Country Planning Balaji ward Jagdalpur, the limit of the Kondagaon Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Kondagaon Planning Area

North : Up to North limit of Village Palari (p. h. No. 17) of Kondagaon Tahsil

East : Village Kondagaon of Municipal Council & up to the Eastern limit of Village Palari (p. h. No. 17) of Kondagaon Tahsil.

South : Village Kondagaon of Municipal Council up to the Southern limit & up to the Southern limit of Village Chikhalputy (p. h. No. 18A) of Kondagaon Tahsil.

West : Up to the Western limit of Municipal Council Village Kondagaon.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

Place of Inspection :- Municipal Council Samudayik Bhavan, Bajar Para, Kondagaon.

पी. सी. रायकवार,
उप-संचालक.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक 7108/अधीक्षक/2009.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक बी-1-1/2009/एक/4, रायपुर दिनांक 30-06-2009 के अनुक्रम में श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर कोरबा के पद पर पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5686/अधीक्षक/2009 दिनांक 11-06-2009 के अनुसार जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी

कलेक्टर के मध्य किया गया कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया जाता है.

1. **श्री पी. एल. निहालानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**

1. नोडल अधिकारी, खाद्य शाखा
2. नोडल अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. पासपोर्ट
4. लायसेंस
5. कटघोरा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
6. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
7. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
8. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
9. अपर कलेक्टर (नजूल)
10. नगर सेना
11. सांख्य लिपिक शाखा
12. कोरबा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
13. कोरबा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण.
14. नोडल अधिकारी, आदिमजाति कल्याण विभाग
15. नोडल अधिकारी, सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. भू-अभिलेख
2. व्यवहारवाद
3. राजस्व आंकिक
4. अल्प बचत
5. पर्यावरण शाखा
6. सूचना के अधिकार
7. सहायक अधीक्षक (विविध)
8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
9. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
10. सहायक अधीक्षक (सामान्य)
(पुरातत्व एवं पर्यटन, आरबीसी के प्रकरण, सोल्शियम फंड/संजीवनी)
11. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
12. आपदा एवं राहत शाखा
13. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

3. **श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. सामान्य निर्वाचन
2. स्थानीय निर्वाचन
3. सहायक अधीक्षक (राजस्व)
4. राजस्व मोहर्रिर
5. जिला नाजिर

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

4. **श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. सिटी मजिस्ट्रेट
2. सत्कार अधिकारी
3. नजूल अधिकारी
4. भाड़ा नियंत्रक
5. वाचक कलेक्टर
6. वित्त एवं स्थापना
7. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
8. जनदर्शन/जनसम्पर्क
9. विशेष कक्ष

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

5. **सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर (परिवेक्षाधीन)**
प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक शाखा में प्रशिक्षण प्राप्त करना.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

6. **श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. प्रतिलिपि शाखा
2. प्रपत्र/लेखन सामग्री एवं मुद्रण
3. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
4. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
5. आवक जावक
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
7. दंगा पीड़ित 1984
8. कम्प्यूटर शाखा
9. नवोदय विद्यालय
10. सिटीजन हेल्प लाइन
11. जिला विकास शहरी अभिकरण
12. 20 सूत्रीय
13. वरिष्ठ लिपिक/अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा
14. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मंडल
15. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय)

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

7. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा**

1. **राजस्व**
   1. अनुविभागीय अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के ग्रामीण क्षेत्र)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. आपराधिक

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा-145 C. R. P. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. विविध

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

8. **श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

1. राजस्व

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 C. R. P. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
2.	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
3.	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
4.	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
5.	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
7.	श्री एस. आर. कुर्रे, अ. वि. अ. कटघोरा	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर

अलरमेल मंगई डी.
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छ. ग.)

जशपुर, दिनांक 19 जून 2009

क्रमांक 3267/व. लि./2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डी. डी. सिंह, कलेक्टर, जशपुर, नगर पंचायत कोतबा, जिला जशपुर के वार्डो का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता हूं.

2. कोतबा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता हूं और अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता हूं.

डी. डी. सिंह,
कलेक्टर.

कोतबा नगर पंचायत के वार्ड की अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	सती वार्ड	9	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड
2	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	10	डा. अम्बेडकर वार्ड
3	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड	11	रानी दुर्गावती वार्ड
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	12	कार्तिक उरांव वार्ड
5	राम मंदिर वार्ड	13	गुरू घासी दास वार्ड
6	बिरसामुण्डा वार्ड	14	भगत सिंह वार्ड
7	राजगुरू वार्ड	15	वीरनारायण सिंह वार्ड
8	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड		

कोतबा नगर पंचायत के वार्ड की चतुस्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 1 (सती वार्ड)

उत्तर - चिन्ताराम यादव के घर से रामपाल पिछारू के घर तक
पूर्व - रामपाल पिछारू के घर से गणेश राम गुप्ता के घर तक
दक्षिण - गणेश राम गुप्ता के घर से सज्जन साय लोहार के घर तक
पश्चिम - सज्जन साय लोहार के घर से चिन्ताराम यादव के घर तक

वार्ड क्रमांक 2 (चन्द्रशेखर आजाद वार्ड)

उत्तर - अनुज राम के घर से सुखनाथ वैष्णव के घर तक
पूर्व - सुखनाथ वैष्णव के घर से कांशीराम गुरूजी के घर तक
दक्षिण - कांशीराम गुरूजी के घर से रामबिलास सिदार के घर तक
पश्चिम - रामबिलास सिदार के घर से अनुज राम के घर तक

वार्ड क्रमांक 3 (रानी लक्ष्मी बाई वार्ड)

उत्तर - अरूणजीत के घर से धनेश्वर राम भुईहर के घर तक
पूर्व - धनेश्वर राम भुईहर के घर से रामचरण कंवर के घर तक
दक्षिण - रामचरण कंवर के घर से नरेन्द्र परमानंद के घर तक
पश्चिम - नरेन्द्र परमानंद के घर से अरूणजीत के घर तक

वार्ड क्रमांक 4 (सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड)

उत्तर - मुन्ना विष्णु के घर से सुशील डनसेना के घर तक
पूर्व - सुशील डनसेना के घर से बैजनाथ के घर तक
दक्षिण - बैजनाथ के घर से मदन साहू के घर तक
पश्चिम - मदन साहू के घर से मुन्ना विष्णु के घर तक

वार्ड क्रमांक 5 (राम मंदिर वार्ड)

उत्तर - चंद्रिका गुप्ता के घर से पवन सिदार के घर तक
पूर्व - पवन सिदार के घर से दौलत घर से महावीर के घर होते हुये बंशी के घर तक
दक्षिण - बंशी के घर से रूकमनी के घर तक
पश्चिम - रूकमनी के घर से चंद्रिका गुप्ता के घर तक

वार्ड क्रमांक 6 (बिरसामुण्डा वार्ड)

उत्तर - रातु राम बैगा के घर से सलगु राम के घर तक
पूर्व - सलगु राम के घर से सत्यनारायण चौधरी घर होते हुए बुडू के घर तक
दक्षिण - बुडू के घर से ललित शर्मा के घर तक
पश्चिम - ललित शर्मा के घर से सुनील शर्मा के घर होते हुए रातु राम के घर तक

वार्ड क्रमांक 7 (राजगुरू वार्ड)

उत्तर - बोखो राम के घर से सरजु के घर तक
पूर्व - सरजु के घर से बजर साय उरांव के घर तक
दक्षिण - बजर साय उरांव के घर से ईमली चौक तक
पश्चिम - ईमली चौक से बोखो राम के घर तक

वार्ड क्रमांक 8 (सुभाषचन्द्र बोस वार्ड)

उत्तर - महेश साहू के घर से रायगढ़िया चौक तक
पूर्व - रायगढ़िया चौक से कारगिल चौक तक
दक्षिण - कारगिल चौक से पटवारी आवास तक
पश्चिम - पटवारी आवास से महेश साहू के घर तक

वार्ड क्रमांक 9 (रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड)

उत्तर - प्रेम गुप्ता के घर से कृत बंजारा के घर तक
पूर्व - कृत बंजारा के घर से शिव मंदिर तक
दक्षिण - शिव मंदिर से कारगिल चौक तक
पश्चिम - कारगिल चौक से प्रेम गुप्ता के घर तक

वार्ड क्रमांक 10 (डॉ. अम्बेडकर वार्ड)

उत्तर - पूर्नोदयाल घर से मूनू चौहान के घर तक
पूर्व - मूनू चौहान के घर से धोबलाल लोहार के घर होते हुए सुखदयाल के घर तक
दक्षिण - सुखदयाल के घर से कन्हैया अग्रवाल के घर तक
पश्चिम - कन्हैया अग्रवाल के घर से पूर्नोदयाल के घर तक

वार्ड क्रमांक 11 (रानी दुर्गावती वार्ड)

उत्तर	-	चन्द्रभान साहू के घर से मोहन उरांव के घर तक
पूर्व	-	मोहन उरांव के घर से हाई स्कूल तालाब तक
दक्षिण	-	हाई स्कूल तालाब से कन्हैया शर्मा के घर तक
पश्चिम	-	कन्हैया शर्मा के घर से चन्द्रभान साहू के घर तक

वार्ड क्रमांक 12 (कार्तिक उरांव वार्ड)

उत्तर	-	कमील भगत के घर से विकूल उरांव के घर तक
पूर्व	-	विकूल उरांव के घर से जहरसाय उरांव के घर तक
दक्षिण	-	जहरसाय उरांव के घर से कन्दरू उरांव के घर तक
पश्चिम	-	कन्दरू उरांव के घर से कमील भगत के घर तक

वार्ड क्रमांक 13 (गुरू घासी दास वार्ड)

उत्तर	-	हीरा यादव के घर से वरूण अघरिया के घर तक
पूर्व	-	वरूण अघरिया के घर से गंभीर साय सतनामी के घर तक
दक्षिण	-	गंभीर साय सतनामी के घर से आषाढु के घर तक
पश्चिम	-	आषाढु के घर से हीरा यादव के घर तक

वार्ड क्रमांक 14 (भगत सिंह वार्ड)

उत्तर	-	ललित शर्मा के घर से प्रसन्न राम के घर तक
पूर्व	-	प्रसन्न राम के घर से टेंगरा रोड तक
दक्षिण	-	टेंगरा रोड से तीजराम के घर तक
पश्चिम	-	तीजराम के घर से ललित शर्मा के घर तक

वार्ड क्रमांक 15 (वीरनारायण सिंह वार्ड)

उत्तर	-	धनमती भगत के घर से जोलजस के घर तक
पूर्व	-	जोलजस के घर से सखा राम के घर तक
दक्षिण	-	सखा राम के घर से धनसाय चौहान के घर तक
पश्चिम	-	धनसाय चौहान के घर से धनमती भगत के घर तक

Letter No. 3267/S. C./2009.—In exercise of the powers conferred by rule 8 of the Chhattisgarh Municipal (extension of wards) rule 1994, I, D. D. Singh, Collector Jashpur hereby determine the extent of wards of Nagar punchayat Kotba, District Jashpur as per schedule given below.

1. Divide the Nagar punchayat Kotba into 15 wards and define the limit of all such ward as per schedule.

D. D. SINGH,
Collector.

SCHEDULE

No. of Wards (1)	Name of Wards (2)	No. of Wards (3)	Name of Wards (4)
1	Satee Ward	9	Rabindra Nath Taigor Ward
2	Chandra Shekhar Azad Ward	10	Dr. Ambedkar Ward
3	Rani Laxmi Bai Ward	11	Rani Durgawati Ward
4	Sardar Ballabh Bhai Patel Ward	12	Kartik Uranv Ward
5	Ram Mandir Ward	13	Guru Ghasidas Ward
6	Birshamunda Ward	14	Bhagat Singh Ward
7	Rajguru Ward	15	Veer Narayan Singh Ward
8	Subhash Chandra Boss Ward		

DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PUNCHAYAT KOTBA

Ward No. 1 (Satee Ward)
North - From Chinta Ram Yadav's house to Rampal Pichharu's house
East - From Rampal Pichharu's house to Ganesh Ram Gupta's house
South - From Ganesh Ram Gupta's house to Sajjan Sai Lohar's house
West - From Sajjan Sai Lohar's house to Chinta Ram Yadav's house

Ward No. 2 (Chandra Shekhar Azad Ward)
North - From Anuj Ram's house to Sukhnath Vaisnav's house
East - From Sukhnath Vaisnav's house to Kanshi Ram Gurugi's house
South - From Kanshi Ram Gurugi's house to Rambilash Sidar's house
West - From Rambilash Sidar's house to Anju Ram's house

Ward No. 3 (Rani Laxmi Bai Ward)
North - From Arunjeet's house to Dhaneswar Ram Bhuihar's house
East - From Dhaneswar Ram Bhuihar's house to Ramcharan Kanwar's house
South - From Ramcharan Kanwar's house to Narendra Parmandand's house
West - From Narendra Parmandand's house to Arunjeet's house

Ward No. 4 (Sardar Ballabh Bhai Patel Ward)
North - From Munna Visnu's house to Sushil Dansena's house
East - From Sushil Dansena's house to Baijnath's house
South - From Baijnath's house to Madan Shahu's house
West - From Madan Shahu's house to Munna Visnu's house

Ward No. 5 (Ram Mandir Ward)
North - From Chandrika Gupta's house to Pawan Sidar's house
East - From Pawan Sidar's house to Doulat's house to Passing by Mahaveer's house to Banshi's house
South - From Banshi's house to Rukmani's house
West - From Rukmani's house to Chandrika Gupta's house

Ward No. 6 (Birshamunda Ward)
North - From Ratu Ram Baiga's house to Salagu Ram's house
East - From Salagu Ram's house to Passing by Satyanarayan Choudhari's House to Budhu's House
South - From Budhu's house to Lalit Sharma's house
West - From Lalit Sharma's house to Passing by Sunil Sharma's house to Ratu Ram Baiga's House

Ward No. 7 (Rajguru Ward)

North	-	From Bokho Ram's house to Saraju's house
East	-	From Saraju's house to Bajar Sai Uranv's house
South	-	From Bajar Sai Uranv's house to Emli Chouk
West	-	From Emli Chouk to Bokho Ram's house

Ward No. 8 (Subhash Chandra Boss Ward)

North	-	From Mahesh Shahu's house to Raigarhiya Chouk
East	-	From Raigarhiya Chouk to Kargil Chouk
South	-	From Kargil Chouk to Patwari Awas
West	-	From Patwari Awas to Mahesh Shahu's house

Ward No. 9 (Rabindranath Taigor Ward)

North	-	From Prem Gupta's house to Krit Banjara's house
East	-	From Krit Banjara's house to Shiv Mandir
South	-	From Shiv Mandir to Kargil Chouk
West	-	From Kargil Chouk to Prem Gupta's house

Ward No. 10 (Dr. Ambedakar Ward)

North	-	From Purnodayal's House to Munu Chouhan's house
East	-	From Munu Chouhan's house to passing by Dhoblal Lohar's house to Sukhadayal's house
South	-	From Sukhadayal's house to Kanhaiya Agrawal's house
West	-	From Kanhaiya Agrawal's house to Purnodayal's house

Ward No. 11 (Rani Durgawati Ward)

North	-	From Chandrabhan Shahu's house to Mohan Uranv's house
East	-	From Mohan Uranv's house to High School Talab
South	-	From High School Talab to Kanhaiya Sharma's house
West	-	From Kanhaiya Sharma's house to Chandrabhan Shahu's house

Ward No. 12 (Kartik Uranv Ward)

North	-	From Kameel Bhagat's house to Vikul Uranv's house
East	-	From Vikul Uranv's house to Zahar Sai Uranv's house
South	-	From Zahar Sai Uranv's house to Kandru Uranv's house
West	-	From Kandru Uranv's house to Kameel Bhagat's house

Ward No. 13 (Guru Ghasidas Ward)

North	-	From Heera Yadav's house to Varun Aghariya's house
East	-	From Varun Aghariya's house to Gambhir Sai Satnami's house
South	-	From Gambhir Sai Satnami's house to Ashadu's house
West	-	From Ashadu's house to Heera Yadav's house

Ward No. 14 (Bhagat Singh Ward)

North	-	From Lalit Sharma's house to Prasan Ram's house
East	-	From Prasan Ram's house to Tengra Road
South	-	From Tengra Road to Tijram's house
West	-	From Tijram's house to Lalit Sharma's house

Ward No. 15 (Veer Narayan Singh Ward)

North	-	From Dhanmati Bhagat's house to Zoljash's house
East	-	From Zoljash's house to Sakha Ram's house
South	-	From Sakha Ram's house to Dhansai Chouhan's house
West	-	From Dhansai Chouhan's house to Dhanmati Bhagat's house

जशपुर, दिनांक 19 जून 2009

क्रमांक 3268/व. लि./2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डी. डी. सिंह, कलेक्टर, जशपुर, नगर पंचायत, कुनकुरी, जिला जशपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता हूं.

2. कुनकुरी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता हूं और अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता हूं.

डी. डी. सिंह,
कलेक्टर.

कुनकुरी नगर पंचायत के वार्ड की अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड	9	महामाया वार्ड
2	पण्डित दीनदयाल वार्ड	10	नेहरू वार्ड
3	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	11	राजीव गांधी वार्ड
4	भगत सिंह वार्ड	12	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
5	सुभाष वार्ड	13	तिलक वार्ड
6	अग्रसेन वार्ड	14	वृन्दावन वार्ड
7	महावीर वार्ड	15	गोकुल वार्ड
8	रानीं लक्ष्मी वार्ड		

कुनकुरी नगर पंचायत के वार्ड की चतुस्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 1 (महात्मा गांधी वार्ड)

उत्तर - गिनाबहार सीमा से कोसाबाड़ी तक
पूर्व - कोसाबाड़ी से बसंती ठाकुर के घर होते हुए विनोद सारडा के घर तक
दक्षिण - विनोद सारडा के घर से जनार्दन गुप्ता के घर तक
पश्चिम - जनार्दन गुप्ता के घर से गिनाबहार सीमा तक

वार्ड क्रमांक 2 (पं. दीनदयाल वार्ड)

उत्तर - कोसाबाड़ी से बंदराखसरा पुल होते मिरी बैंक वाले के घर तक
पूर्व - मिरी बैंक वाले के घर से रीता के घर तक
दक्षिण - रीता के घर से बिशप हाउस, चर्च मोड़ होते शर्मा वाच हाउस तक
पश्चिम - शर्मा वाच हाउस से प्रा. शाला बजरंग नगर होते कोसाबाड़ी तक

वार्ड क्रमांक 3 (डॉ. अम्बेडकर वार्ड)

उत्तर - हॉलीक्रास अस्पताल से चर्च मोड़ होते रीता के घर तक
पूर्व - रीता के घर से नामी के घर तक
दक्षिण - नामी के घर से अब्राहम के घर होते जतरू के घर तक
पश्चिम - जतरू के घर से हॉलीक्रास अस्पताल तक

वार्ड क्रमांक 4 (भगत सिंह वार्ड)

उत्तर - जयस्तंभ चौक से शंकर भगत के घर तक
पूर्व - शंकर भगत के घर से जतरू, अब्राहम के घर होते हुए सिरिल के घर तक
दक्षिण - सिरिल के घर से खेल मैदान चौक तक
पश्चिम - खेल मैदान चौक से जयस्तंभ चौक तक

वार्ड क्रमांक 5 (सुभाष वार्ड)

उत्तर - बाजारडांड़ चौक से केसरी धुत के घर होते हुए प्रा. शाला बजरंग नगर तक
पूर्व - प्रा. शाला बजरंग नगर से स्मार्ट टेलर्स तक
दक्षिण - स्मार्ट टेलर्स से धर्मेन्द्र गुप्ता के घर तक
पश्चिम - धर्मेन्द्र गुप्ता के घर से बाजारडांड़ चौक तक

वार्ड क्रमांक 6 (अग्रसेन वार्ड)

उत्तर - आर. आई. क्वार्टर से जयस्तंभ चौक तक
पूर्व - जयस्तंभ चौक से खेल मैदान चौक तक
दक्षिण - खेल मैदान चौक से आरीफ के घर, रऊफ की दुकान, मस्जिद गली होते लम्बीटोली आजाद मुहल्ला चौक तक
पश्चिम - लम्बीटोली आजाद मुहल्ला चौक से आर. आई. क्वार्टर तक

वार्ड क्रमांक 7 (महावीर वार्ड)

उत्तर - अवधेश तिवारी के घर से सनातन धर्मशाला तक
पूर्व - सनातन धर्मशाला से रामजीवा होटल तक
दक्षिण - रामजीवा होटल से रनपुर मार्ग चौक तक
पश्चिम - रनपुर मार्ग चौक से अवधेश तिवारी के घर तक

वार्ड क्रमांक 8 (रानी लक्ष्मी बाई वार्ड)

उत्तर - जामटोली घूरन के घर से जयभगवान के बाउण्ड्री तक
पूर्व - जयभगवान के बाउण्ड्री से रामू गुप्ता के घर तक
दक्षिण - रामू गुप्ता के घर से न. पं. सीमा तक
पश्चिम - न. पं. सीमा से जामटोली घूरन के घर तक

वार्ड क्रमांक 9 (महामाया वार्ड)

उत्तर - न. पं. सीमा डुगडुगिया से आर. आई. क्वार्टर तक
पूर्व - आर. आई. क्वार्टर से लम्बीटोली रौतिया बस्ती आसारू के घर तक
दक्षिण - लम्बीटोली रौतिया बस्ती आसारू के घर से जोवाकिम (बैगाबस्ती) के घर तक
पश्चिम - जोवाकिम (बैगाबस्ती) के घर से न. पं. सीमा डुगडुगिया तक

वार्ड क्रमांक 10 (नेहरू वार्ड)

उत्तर - लम्बीटोली अथनस के घर से करामत घर होते हुए खालीद के दुकान तक
पूर्व - खालीद के दुकान से अब्दुल कयूम के घर तक
दक्षिण - अब्दुल कयूम के घर से लम्बीटोली ख्रीस्त टोप्पो के घर तक
पश्चिम - लम्बीटोली ख्रीस्त टोप्पो के घर से लम्बीटोली अथनस के घर तक

वार्ड क्रमांक 11 (राजीव गांधी वार्ड)

उत्तर - अब्दुल कयूम के घर से खेल मैदान चौक तक
पूर्व - खेल मैदान चौक से जयनाथ सिंह के घर तक
दक्षिण - जयनाथ सिंह के घर से शर्मानंद के घर तक
पश्चिम - शर्मानंद के घर से अब्दुल कयूम के घर तक

वार्ड क्रमांक 12 (स्वामी विवेकानंद वार्ड)

उत्तर - खेल मैदान चौक से हरि बढ़ाई के घर तक
पूर्व - हरि बढ़ाई के घर से अनिल गुरूजी के घर तक
दक्षिण - अनिल गुरूजी के घर से नरहरि के घर होते हुए राजेश किराना दुकान तक
पश्चिम - राजेश किराना दुकान से खेल मैदान चौक तक

वार्ड क्रमांक 13 (तिलक वार्ड)

उत्तर - किरण सामंत के घर से रातूराम के घर तक
पूर्व - रातूराम के घर से रफीक खान के घर तक
दक्षिण - रफीक खान के घर से आई. टी. आई. भवन तक
पश्चिम - आई. टी. आई. भवन से किरण सामंत के घर तक

वार्ड क्रमांक 14 (वृन्दावन वार्ड)

उत्तर - आई. टी. आई. भवन से मुर्गीभुंजा मिलेट्री के घर तक
पूर्व - मुर्गीभुंजा मिलेट्री के घर से न. पं. सीमा सीरी नदी तक
दक्षिण - न. पं. सीमा सीरी नदी से रंजीत तिर्की के घर तक
पश्चिम - रंजीत तिर्की के घर से आई. टी. आई. भवन तक

वार्ड क्रमांक 15 (गोकुल वार्ड)

उत्तर - राझाडांड़ जगमोहनी के घर से शंभु यादव, अरूण के घर होते नं. पं. सीमा सीरी नदी तक
पूर्व - नं पं. सीमा सीरी नदी से दुलमेत के मकान तक
दक्षिण - दुलमेत के मकान से औंराझरिया नाला तक
पश्चिम - औंराझरिया नाला से जयराम का घर बोडरा बांध होते राझाडांड़ जगमोहनी के घर तक

Letter No. 3268/S. C./2009.—In exercise of the powers conferred by rule 8 of the Chhattisgarh Municipal (extension of wards) rule 1994, I, D. D. Singh, Collector, Jashpur hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Kunkuri, District Jashpur as per schedule given below.

1. Divide the Nagar Panchayat Kunkuri into 15 wards and define the limit of all such ward as per schedule.

D. D. SINGH,
Collector.

SCHEDULE

No. of Wards	Name of Wards	No. of Wards	Name of Wards
1	Mahatma Gandhi Ward	9	Mahamaya Ward
2	Pt. Dindayal Ward	10	Neharu Ward
3	Dr. Ambedkar Ward	11	Rajeev Gandhi Ward
4	Bhagat Singh Ward	12	Swami Vivekanand Ward
5	Subhash Ward	13	Tilak Ward
6	Agrasen Ward	14	Brindavan Ward
7	Mahaveer Ward	15	Gokul Ward
8	Rani Laxmi Bai Ward		

DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PUNCHAYAT KUNKURI

Ward No. 1 (Mahatma Gandhi Ward)

North - From Ginabahar Border to Kosabadi
East - From Kosabadi Through House of Basanti Thakur to house of Vinod Sharda
South - From house of Vinod Sharda to house of Janardan Gupta
West - From house of Janardan Gupta to Ginabahar Border

Ward No. 2 (Pt. Dindayal Ward)

North - From Kosabadi Through Bandra Khasra Bridge to house of Miri Bankwala
East - From house of Miri Bankwala to house of Rita
South - From house of Rita through Bishap house Church Mor to Sharma Watch House
West - From Sharma Watch House to Kosabadi

Ward No. 3 (Dr. Ambedkar Ward)

North - From Holy Cross Hospital Through Church mor to house of Rita
East - From house of Rita to house of Nami
South - From house of Nami through house of Abraham to house of Jatru
West - From house of Jatru to Holy Cross Hospital

Ward No. 4 (Bhagat Singh Ward)

North - From Jayastambh Chowk to house of Shankar Bhagat
East - From house of Shankar Bhagat through house of Jatru, Abraham to house of Siril
South - From house of Siril to Khel Maidan Chowk
West - From Khel Maidan Chowk to Jayastambh Chowk

Ward No. 5 (Subhash Ward)

North - From Bazardand Chowk Through house of Kesari Dhut to Primary School Bajrang Nagar
East - From Primary School Bajrang Nagar to Smart Taylors
South - From Smart Taylors to house of Dharmendra Gupta
West - From house of Dharmendra Gupta to Bazardand Chowk

Ward No. 6 (Agrasen Ward)

North - From R. I. Quarter to Jayastambh Chowk
East - From Jayastambh Chowk to Khel Maidan Chowk
South - From Khel Maidan Chowk through house of Arif, Rouf's Shop, Masjid Gali to Lambitoli Azad Muhalla Chowk.
West - From Lambitoli Azad Muhalla Chowk to R. I. Quarter

Ward No. 7 (Mahaveer Ward)

North	-	From house of Awadhesh Tiwari to Sanatan Dharmshala
East	-	From Sanatan Dharmshala to Ramjiwa Hotel
South	-	From Ramjiwa Hotel to Ranpur Marg Chowk
West	-	From Ranpur Marg Chowk to house of Awadhesh Tiwari

Ward No. 8 (Rani Laxmi Bai Ward)

North	-	From Jamtoli house of Ghuran to Boundrywall of Jayabhagwan
East	-	From Boundrywall of Jayabhagwan to house of Ramu Gupta
South	-	From house of Ramu Gupta to Nagar Panchayat Border
West	-	From Nagar Panchayat Border to Jamtoli house of Ghuran

Ward No. 9 (Mahamaya Ward)

North	-	From Nagar Panchayat Border Dugdugiya to R. I. Quarter
East	-	From R. I. Quarter to Lambitoli Rautiya Basti house of Asaru
South	-	From Lambitoli Rautiya Basti house of Asaru to house of Jowakim (Baigabasti)
West	-	From House of Jowakim (Baigabasti) to Nagar Panchayat Border Dugdugiya

Ward No. 10 (Nehru Ward)

North	-	From Lambitoli house of Athnas Through house of Karamt to Shop of Khalid
East	-	From Shop of Khalid to house of Abdul Kayum
South	-	From house of Abdul Kayum to Lambitoli house of Khrist Toppo
West	-	From Lambitoli house of Khrist Toppo to Lambitoli house of Athnas

Ward No. 11 (Rajeev Gandhi Ward)

North	-	From house of Abdul Kayum to Khel Maidan Chowk
East	-	From Khel Maidan Chowk to house of Jainath Singh
South	-	From house of Jainath Singh to house of Sharmanand
West	-	From house of Sharmanand to house of Abdul Kayum

Ward No. 12 (Swami Vivekanand Ward)

North	-	From Khel Maidan Chowk To house of Hari Barhai
East	-	From house of Hari Barhai to house of Anil Guruji
South	-	From house of Anil Guruji through house of Narhari to Rajesh Kirana Dukan
West	-	From Rajesh Kirana Dukan to Khel Maidan Chowk

Ward No. 13 (Tilak Ward)

North	-	From house of Kiran Samant to house of Ratu Ram
East	-	From house of Ratu Ram to house of Rafiq Khan
South	-	From house of Rafiq Khan to I. T. I.
West	-	From I. T. I. to house of Kiran Samant

Ward No. 14 (Brindavan Ward)

North	-	From I. T. I. to Murgibhunja house of Miletry
East	-	From Murgibhunja house of Miletry to Nagar Panchayat Border Siri River
South	-	From Nagar Panchayat Border Siri River to house of Ranjit Tirkey
West	-	From house of Ranjit Tirkey to I. T. I.

Ward No. 15 (Gokul Ward)

North	-	From Rajhadand house of Jagmohni through house of Shambhu Yadav, Arun to Nagar Panchayat Border Siri River
East	-	From Nagar Panchayat Border Siri River to house of Dulmet
South	-	From house of Dulmet to Auranjhariya Nalla
West	-	From Auranjhariya Nalla through Bodrabanh house of Jairam to Rajhadand house of Jagmohni

जशपुर, दिनांक 19 जून 2009

क्रमांक 3269/व. लि./2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डी. डी. सिंह, कलेक्टर, जशपुर, नगर पंचायत, बगीचा, जिला जशपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता हूं.

2. बगीचा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता हूं और अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता हूं.

डी. डी. सिंह,
कलेक्टर.

बगीचा नगर पंचायत के वार्ड की अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड	9	सर्वेश्वरी वार्ड
2	वीर शिवाजी वार्ड	10	स्वामी रामकृष्ण विवेकानन्द वार्ड
3	शिवशंकर वार्ड	11	इन्दिरा गांधी वार्ड
4	खुडियारानी वार्ड	12	श्री राम वार्ड
5	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	13	राजीव गांधी वार्ड
6	श्री सांई बाबा वार्ड	14	पण्डित नेहरू वार्ड
7	पण्डित दीनदयाल वार्ड	15	मोरू भाई केतकर वार्ड
8	माँ दुर्गा वार्ड		

बगीचा नगर पंचायत के वार्ड की चतुस्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 1 (महात्मा गांधी वार्ड)

उत्तर - श्याम केश्वर के घर से अहिनमाड़ा सी. सी. रोड तक
पूर्व - श्याम केश्वर के घर से नगर पंचायत सीमा तहसील कार्यालय तक
दक्षिण - श्याम केश्वर के घर से नहर मेड़ तक
पश्चिम - श्याम केश्वर के घर से प्रभात सिडाम के घर तक

वार्ड क्रमांक 2 (वीर शिवाजी वार्ड)

उत्तर - मधु यादव के घर से नन्दो राम के घर तक
पूर्व - मधु यादव के घर से डोड़की नदी पुलिया तक
दक्षिण - मधु यादव के घर से अहिनमाड़ा सी. सी. रोड तक
पश्चिम - मधु यादव के घर से इमली डीपा कृष्णा यादव के घर तक

वार्ड क्रमांक 3 (शिवशंकर वार्ड)

उत्तर - सत्यनारायण के घर से शंकर नहर मेंड़ तक
पूर्व - सत्यनारायण के घर से वी. टी. रोड तक
दक्षिण - सत्यनारायण के घर से बैसाखू के घर तक
पश्चिम - सत्यनारायण के घर से सीता राम के घर तक

वार्ड क्रमांक 4 (खुड़िया रानी वार्ड)

उत्तर - खुलन घर से मा. शा. भट्ठीकोना नदी तक
पूर्व - खुलन घर से चुंगटू/भूनेश्वर घर तक
दक्षिण - खुंलन घर से रामचंदर घर तक
पश्चिम - खुलन घर से बिडियो, बादु घर तक

वार्ड क्रमांक 5 (श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड)

उत्तर - क्रेशर मशीन से पहाड़ सीमा तक
पूर्व - क्रेशर मशीन से लोहिया डाड़ी नाला तक
दक्षिण - क्रेशर मशीन से डोड़की नदी तक
पश्चिम - क्रेशर मशीन से लोंगा कोना बस्ती तक

वार्ड क्रमांक 6 (श्री सांई बाबा वार्ड)

उत्तर - चिस्ती घर से राम सलोने मिश्रा घर तक
पूर्व - चिस्ती घर से डोंड़की नदी तक
दक्षिण - चिस्ती घर से बिंदेश्वरी हॅटल तक
पश्चिम - चिस्ती घर से बी. टी. रोड तक

वार्ड क्रमांक 7 (पं. दीनदयाल वार्ड)

उत्तर - प्रगति लॉज से बी. टी. रोड तक
पूर्व - प्रगति लॉज से हॉस्पीटल बाउण्ड्री तक
दक्षिण - प्रगति लॉज से सुकबासू बस्ती तक
पश्चिम - प्रगति लॉज से भगवती होटल तक

वार्ड क्रमांक 8 (माँ दुर्गा वार्ड)

उत्तर - हरिनारायण शर्मा घर से उम्मेद मल जैन घर तक
पूर्व - हरिनारायण शर्मा घर से सी. सी. रोड बालक छात्रावास तक
दक्षिण - हरिनारायण शर्मा घर से डॉड़ पारा मंगल घर तक
पश्चिम - हरिनारायण शर्मा घर से मधु बरेठा घर तक

वार्ड क्रमांक 9 (सर्वेश्वरी वार्ड)

उत्तर - कल्याण आश्रम से सुभाष दुकान तक
पूर्व - कल्याण आश्रम से झोरा घर तक
दक्षिण - कल्याण आश्रम से हेठ गम्हरिया बुतरू घर तक
पश्चिम - कल्याण आश्रम से सी. सी. रोड तक

वार्ड क्रमांक 10 (स्वामी रामकृष्ण विवेकानन्द वार्ड)

उत्तर - शिशु मंदिर से अमटकोना पहाड़ तक
पूर्व - शिशु मंदिर से बद्री गुप्ता के घर तक
दक्षिण - शिशु मंदिर से आनंद गुप्ता घर तक
पश्चिम - शिशु मंदिर से बी. टी. रोड तक

वार्ड क्रमांक 11 (इन्दिरा गांधी वार्ड)

उत्तर - गायत्री मंदिर से निर्मल घर तक
पूर्व - गायत्री मंदिर से वी. टी. रोड तक
दक्षिण - गायत्री मंदिर से वी. टी. रोड तक
पश्चिम - गायत्री मंदिर से आलोक वर्मा दुकान तक

वार्ड क्रमांक 12 (श्री राम वार्ड)

उत्तर - प्रेम घर से सुखबासुपारा पहाड़ तक
पूर्व - प्रेम घर से मुख्य नहर तक
दक्षिण - प्रेम घर से पारसनाथ घर तक
पश्चिम - प्रेम घर से बली घर तक

वार्ड क्रमांक 13 (राजीव गांधी वार्ड)

उत्तर - शंकर गुप्ता घर से रामकुमार गुरूपारा तक
पूर्व - शंकर गुप्ता घर से कमल जैन से सी. सी. रोड तक
दक्षिण - शंकर गुप्ता घर से बी. टी. रोड तक
पश्चिम - शंकर गुप्ता घर से संतोष दुकान नहर मेंड तक

वार्ड क्रमांक 14 (पं. नेहरू वार्ड)

उत्तर - प्रा. शा. रतबा से राजपुरी पहाड़ तक
पूर्व - प्रा. शा. रतबा से नहर तक
दक्षिण - प्रा. शा. रतबा से राजपुरी नदी तक
पश्चिम - प्रा. शा. रतबा से कन्या हाई स्कूल तक

वार्ड क्रमांक 15 (मोरू भाई केतकर वार्ड)

उत्तर - चर्च घर से सिक्टा टोली पहाड़ तक
पूर्व - चर्च घर से नगर पंचायत सीमा तक
दक्षिण - चर्च घर से तेज कुमार घर तक
पश्चिम - चर्च घर से सावन लोहार घर तक

Letter No. 3269/S. C./2009.—In exercise of the powers conferred by rule 8 of the Chhattisgarh Municipal (extension of wards) rule 1994, I, D. D. Singh, Collector, Jushpur hereby determine the extent of wards of Nagar Punchayat Bagicha, District Jushpur as per schedule given below.

1. Divide the Nagar Punchayat Bagicha into 15 wards and define the limit of all such wards as per schedule '

D. D. SINGH,
Collector.

SCHEDULE

No. of Wards	Name of Wards	No. of Wards	Name of Wards
1	Mahatma Gandhi Ward	9	Sarweswari Ward
2	Veer-Shewaji Ward	10	Swami Ram Krisan Vivekanand Ward
3	Shiv-Shankar Ward	11	Indira Gandhi Ward
4	Khudiya Rani Ward	12	Shri Ram Ward
5	Shayamaprasad Mukharji Ward	13	Rajev Gandhi Ward
6	Shri Sai Baba Ward	14	Pandit Neharu Ward
7	Pandit Dindayal Ward	15	Morubhai Keitker Ward
8	Maa Durga Ward		

DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PUNCHAYAT BAGICHA

Ward No. 1 (Mahatma Gandhi Ward)

North - From Shayam Keshwar's house to till Ahinmada C. C. Road.
East - From Shayam Keshwar's house to till the Last
South - From Shayam Keshwar's house to till the Water Shead of last Field area
West - From Shayam Keshwar's house to till Prabhat Sedam's house

Ward No. 2 (Veer-Shewaji Ward)

North - From Madhu Yadav's house to till Nando Ram's house
East - From Madhu Yadav's house to till the river of Dorki over breez
South - From Madhu Yadav's house to till Ahinmada C. C. Road
West - From Madhu Yadav's house to till Emlli Dipa House

Ward No. 3 (Shiv-Shankar Ward)

North - Satnarayan's house to till Sankar, Naher Feance
East - Satnarayan's house to till B. T. Road
South - Satnarayan's house to till Baisakhu's house
West - Satnarayan's house to till Seta Ram's house

Ward No. 4 (Khudiya Rani Ward)

North - Khulan's house to till middle School Bhatikona River
East - Khulan's house to till Chungtu/Vuneswer's house
South - Khulan's house to till Ramchander's house
West - Khulan's house to till video, Baddu's house

Ward No. 5 (Shayamaprasad Mukharji Ward)

North - Kreasher Machine's to till the last area of hill
East - Kreasher Machine's to till Lahiya dari vailye
South - Kreasher Machine's to till the River of Dorke
West - Kreasher Machine's to till Longa Kona Village

Ward No. 6 (Shri Sai Baba Ward)

North - Chisti's house to till Ram Salone Mesra's house
East - Chisti's house to till the river of Dorki
South - Chisti's house to till Vendeswari Hotel
West - Chisti's house to till B. T. Road

Ward No. 7 (Pandit Dindayal Ward)
North - From Pragati Lorge to till B. T. Road
East - From Pragati Lorge to till Hospital Baundari
South - From Pragati Lorge to till Sukhbasu Village
West - From Pragati Lorge to Bhagwati Hotel to till the river of Dorki over breej.

Ward No. 8 (Maa Durga Ward)
North - From Harinarayan's house to till Umead Mal's house
East - From Harinarayan's house to till C. C. Road Boy's Hostel.
South - From Harinarayan's house to till Danrpar Mangal Nath's house
West - From Harinarayan's house to till Madhu Bareta's house

Ward No. 9 (Sarweswari Ward)
North - From Kalayan Ashram to till Subhas Genral Store Soape
East - From Kalayan Ashram to till Jhora's house
South - From Kalayan Ashram to till Haet Gamahriya
West - From Kalayan Ashram to till C. C. Road

Ward No. 10 (Swami Ram Krisan Vivekanand Ward)
North - From Shishu Mander to till Amatkona Hill
East - From Shishu Mander to till Badri Gupta's house
South - From Shishu Mander to till Anand Gupta's house
West - From Shishu Mander to till B. T. Road

Ward No. 11 (Indira Gandhi Ward)
North - From Gayatri Mandeer to till Nirmal's house
East - From Gayatri Mandeer to till B. T. Road
South - From Gayatri Mandeer to till B. T. Road
West - From Gayatri Mandeer to till Alock Varma's Genral Store's soape

Ward No. 12 (Shri Ram Ward)
North - From Pream's house to till Sukhbasu Para hill
East - From Pream's house to till Main Nahar
South - From Pream's house to till Parasnath's house
West - From Pream's house to till Bali's house

Ward No. 13 (Rajev Gandhi Ward)
North - From Shankar Gupta house to Gurupara
East - From Shankar Gupta house to Kamal Jain to C. C. Road
South - From Shankar Gupta house to B. T. Road
West - From Shankar Gupta house to Santosh Shop

Ward No. 14 (Pandit Nehru Ward)
North - From Praimari School Ratba to till Rajpuri Hill
East - From Praimari School Ratba to till Naher
South - From Praimari School Ratba to till Rajpuri River
West - From Praimari School Ratba to till Girl's School

Ward No. 15 (Moru Bhai Keitker Ward)
North - From Charch house to till Sektatoli Hill
East - From Charch house to till Nagar Panchayat Ariya
South - From Charch house to till Taij Kumar's house
West - From Charch house to till Sawan Lohara house